छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1175/2007

श्री राजेश बिस्सा,
21, सेन्ट्रल एवेन्यू (वेस्ट),
चौबे कालोनी, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग,
मंत्रालय, डी.के.एस. भवन रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 07 मार्च 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री राजेश बिस्सा द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, रायपुर के समक्ष दिनांक 01–09–2007 को सूचना के अवलोकन हेतु एवं दस्तावेज हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया था। समयावधि में जानकारी न दिलवाये जाने के कारण उनके द्वारा दिनांक 04–10–2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। दिनांक 11–10–2007 को उन्हें अपूर्ण जानकारी दी गई और निरीक्षण भी नहीं करवाया गया और उन्हें अप्रमाणित प्रतियाँ दी गई। अतः इससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों का श्रवण किया गया। तर्कों में यह बताया गया कि पूर्व में अप्रमाणित 54 पृष्ठों का दस्तावेज दिया गया था, जो बाद में दिनांक 14–01–2008 को प्रमाणित करके दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 30–01–2008 को कुछ और दस्तावेज दिये गये। तर्कों के श्रवण के पश्चात् ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा दिये गये अनेक आवेदनों के कारण भ्रमवश पूर्ण जानकारी एक साथ नहीं दी जा सकी, जिसमें कोई दुर्भावना प्रतीत नहीं होता है। अतः इस प्रकरण में किसी प्रकार की शास्ति की आवश्यकता नहीं है। किन्तु अब यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को समस्त संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण अब करा दिया जाये और यदि दस्तावेज देने शेष हों तो वह 15 दिन में निःशुल्क प्रमाणित करके प्रदान की जावे। साथ ही प्रकरण में विलम्ब और अपूर्ण जानकारी के कारण हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिये धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत अपीलार्थी को 300/–रुपये (तीन सौ रुपये मात्र) की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जावे।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील आंशिक रूप से अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त